M878/A1.20- 242.

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

31/12/5

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Relie

Notification

New Delhi, the 30th December, 2015

- S.O. (E)- In exercise of the powers conferred by section 139A, section 271FAA and section 285BA, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (22nd Amendment) Rules, 2015.
 - (2) Rules 114B, 114C and 114D shall come into force from the 1st day of January, 2016 and rule 114E shall come into force from the 1st day of April, 2016.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), for rules 114B, 114C, 114D and 114E, the following rules shall respectively be substituted, namely:-

"114B. Transactions in relation to which permanent account number is to be quoted in all documents for the purpose of clause (c) of sub-section (5) of section 139A.-

Every person shall quote his permanent account number in all documents pertaining to the transactions specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl.No.	Nature of transaction	Value of transaction
(1)	(2)	(3)
1.	Sale or purchase of a motor vehicle or vehicle, as defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) which requires registration by a registering authority under Chapter IV of that Act, other than two wheeled vehicles.	All such transactions.
2.	Opening an account [other than a time-deposit referred to at Sl. No.12 and a Basic Savings Bank Deposit Account] with a banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act).	
3.	Making an application to any banking company or a co-operative bank to which the Banking	All such transactions.

	Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or to any other company or institution, for issue of a credit or debit card.	
4.	Opening of a demat account with a depository, participant, custodian of securities or any other person registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).	All such transactions.
5.	Payment to a hotel or restaurant against a bill or bills at any one time.	Payment in cash of an amount exceeding fifty thousand rupees.
6.	Payment in connection with travel to any foreign country or payment for purchase of any foreign currency at any one time.	Payment in cash of an amount exceeding fifty thousand rupees.
7.	Payment to a Mutual Fund for purchase of its units.	Amount exceeding fifty thousand rupees.
8.	Payment to a company or an institution for acquiring debentures or bonds issued by it.	Amount exceeding fifty thousand rupees.
9.	Payment to the Reserve Bank of India, constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) for acquiring bonds issued by it.	Amount exceeding fifty thousand rupees.
10.	Deposit with a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act).	Deposits in cash exceeding fifty thousand rupees during any one day.
11.	Purchase of bank drafts or pay orders or banker's cheques from a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act).	Payment in cash for an amount exceeding fifty thousand rupees during any one day.
12.	A time deposit with, -	Amount exceeding fifty thousand rupees
	(i) a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act);	or aggregating to more than five lakh rupees during a financial year.
	(ii) a Post Office;	
	(iii) a Nidhi referred to in section 406 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or	
	(iv) a non-banking financial company which holds a certificate of registration under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), to hold or accept deposit from public.	

_			
	13.	Payment for one or more pre-paid payment instruments, as defined in the policy guidelines for issuance and operation of pre-paid payment instruments issued by Reserve Bank of India under section 18 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), to a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or to any other company or institution.	Payment in cash or by way of a bank draft or pay order or banker's cheque of an amount aggregating to more than fifty thousand rupees in a financial year.
	14.	Payment as life insurance premium to an insurer as defined in clause (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).	Amount aggregating to more than fifty thousand rupees in a financial year.
	15.	A contract for sale or purchase of securities (other than shares) as defined in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).	Amount exceeding one lakh rupees per transaction.
	16.	Sale or purchase, by any person, of shares of a company not listed in a recognised stock exchange.	Amount exceeding one lakh rupees per transaction.
	17.	Sale or purchase of any immovable property.	Amount exceeding ten lakh rupees or valued by stamp valuation authority referred to in section 50C of the Act at an amount exceeding ten lakh rupees.
	18.	Sale or purchase, by any person, of goods or services of any nature other than those specified at Sl. No. 1 to 17 of this Table, if any.	Amount exceeding two lakh rupees per transaction:

Provided that where a person, entering into any transaction referred to in this rule, is a minor and who does not have any income chargeable to income-tax, he shall quote the permanent account number of his father or mother or guardian, as the case may be, in the document pertaining to the said transaction:

Provided further that any person who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in this rule, he shall make a declaration in Form No.60 giving therein the particulars of such transaction:

Provided also that the provisions of this rule shall not apply to the following class or classes of persons, namely:-

- (i) the Central Government, the State Governments and the Consular Offices;
- (ii) the non-residents referred to in clause (30) of section 2 of the Act in respect of the transactions other than a transaction referred to at Sl. No. 1 or 2 or 4 or 7 or 8 or 10 or 12 or 14 or 15 or 16 or 17 of the Table.

Explanation.—For the purposes of this rule,—

(1) "payment in connection with travel" includes payment towards fare, or to a travel agent or a tour operator, or to an authorised person as defined in clause (c) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(2) "travel agent or tour operator" includes a person who makes arrangements for air, surface or maritime travel or provides services relating to accommodation, tours, entertainment, passport, visa, foreign exchange, travel related insurance or other travel related services either severally or in package;

(3) "time deposit" means any deposit which is repayable on the expiry of a fixed period.

114C. Verification of Permanent Account Number in transactions specified in rule 114B.-

- (1) Any person being,—
 - (a) a registering officer or an Inspector-General appointed under the Registration Act, 1908 (16 of 1908);
 - (b) a person who sells the immovable property or motor vehicle;
 - (c) a manager or officer of a banking company or co-operative bank, as the case may be, referred to at S1. No. 2 or 3 or 10 or 11 or 12 or 13 of rule 114B;
 - (d) post master;
 - (e) stock broker, sub-broker, share transfer agent, banker to an issue, trustee of a trust deed, registrar to issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment adviser and such other intermediaries registered under sub-section (1) section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (f) a depository, participant, custodian of securities or any other person registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) referred to at Sl. No. 4 of rule 114B;
 - (g) the principal officer of a company referred to at Sl. No. 3 or 4 or 8 or 12 or 13 or 15 or 16 of rule 114B;
 - (h) the principal officer of an institution referred to at Sl. No. 2 or 3 or 8 or 10 or 11 or 12 or 13 of rule 114B;
 - (i) any trustee or any other person duly authorised by the trustee of a Mutual Fund referred to at Sl. No. 7 of rule 114B;
 - (j) an officer of the Reserve Bank of India, constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), or of any agency bank authorised by the Reserve bank of India;
- (k) a manager or officer of an insurer referred to at Sl. No. 14 of rule 114B, who, in relation to a transaction specified in rule 114B, has received any document shall ensure after verification that permanent account number has been duly and correctly mentioned therein or as the case may be, a declaration in Form 60 has been duly furnished with complete particulars.
- (2) Any person, being a person raising bills referred to at Sl. No. 5 or 6 or 18 of rule 114B, who, in relation to a transaction specified in the said Sl. No., has issued any document shall ensure after verification that permanent account number has been correctly furnished and the same shall be mentioned in such document, or as the case may be, a declaration in Form 60 has been duly furnished with complete particulars.

114D. Time and manner in which persons referred to in rule 114C shall furnish a statement containing particulars of Form No. 60.-

- (1) Every person referred to in,-
 - (I) clauses (b) to (k) of sub-rule (1) of rule 114C; and
 - (II) sub-rule (2) of rule 114C and who is required to get his accounts audited under section 44AB of the Act,

who has received any declaration in Form No. 60, on or after the 1st day of January, 2016, in relation to a transaction specified in rule 114B, shall-

- (i) furnish a statement in Form No. 61 containing particulars of such declaration to the Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) or the Joint Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) through online transmission of electronic data to a server designated for this purpose and obtain an acknowledgement number; and
- (ii) retain Form No. 60 for a period of six years from the end of the financial year in which the transaction was undertaken.
- (2) The statement referred to in clause (i) of sub-rule (1) shall,-
 - (i) where the declarations are received by the 30th September, be furnished by the 31st October of that year; and
 - (ii) where the declarations are received by the 31st March, be furnished by the 30th April of the financial year immediately following the financial year in which the form is received.
- (3) The statement referred to in clause (i) of sub-rule (1) shall be verified—
 - (a) in a case where the person furnishing the statement is an assessee as defined in clause (7) of section 2 of the Act, by a person specified in section 140 of the Act;
 - (b) in any other case, by the person referred to in rule 114C.

114E. Furnishing of statement of financial transaction.

- (1) The statement of financial transaction required to be furnished under sub-section (1) of section 285BA of the Act shall be furnished in respect of a financial year in Form No. 61A and shall be verified in the manner indicated therein.
- (2) The statement referred to in sub-rule (1) shall be furnished by every person mentioned in column (3) of the Table below in respect of all the transactions of the nature and value specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table in accordance with the provisions of sub-rule (3), which are registered or recorded by him on or after the 1st day of April, 2016, namely:—

TABLE

Sl.No.	Nature and value of transaction	Class of person (reporting person)
(1)	(2)	(3)
1.	(a) Payment made in cash for purchase of bank drafts or pay orders or banker's cheque of an amount aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year.	A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act).
	(b) Payments made in cash aggregating to ten lakh rupees or more during the financial year for purchase of pre-paid instruments issued by Reserve Bank of India under section 18 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007).	
i	(c) Cash deposits or cash withdrawals (including through bearer's cheque) aggregating to fifty lakh rupees or more in a financial year, in or from one or more current account of a person.	
2.	Cash deposits aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year, in one or more accounts (other than a current account and time deposit) of a person.	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).
3.	One or more time deposits (other than a time deposit made through renewal of another time deposit) of a person aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year of a person.	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898);

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	April 1865.	(iii) Nidhi referred to in section 406 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); (iv) Non-banking financial company which holds a certificate of registration under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (6 of 1934), to hold or accept deposit from public.
4.	Payments made by any person of an amount aggregating to- (i) one lakh rupees or more in cash; or (ii) ten lakh rupees or more by any other mode, against bills raised in respect of one or more credit cards issued to that person, in a financial year.	A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or any other company or institution issuing credit card.
5.	Receipt from any person of an amount aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year for acquiring bonds or debentures issued by the company or institution (other than the amount received on account of renewal of the bond or debenture issued by that company).	A company or institution issuing bonds or debentures.
6.	Receipt from any person of an amount aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year for acquiring shares (including share application money) issued by the company.	A company issuing shares.
7.	(other than the shares bought in the open	A company listed on a recognised stock exchange purchasing its own securities under section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
8.	Receipt from any person of an amount aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year for acquiring units of one or more schemes of a Mutual Fund (other than the amount received on account of transfer from one scheme to another scheme of that Mutual Fund).	A trustee of a Mutual Fund or such other person managing the affairs of the Mutual Fund as may be duly authorised by the trustee in this behalf.
9.	Receipt from any person for sale of foreign currency including any credit of such currency to foreign exchange card or expense in such currency through a debit or credit card or through issue of travellers cheque or draft or any other instrument of an amount aggregating to	Authorised person as referred to in clause (c) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

	ten lakh rupees or more during a financial year.	
10.	Purchase or sale by any person of immovable property for an amount of thirty lakh rupees or more or valued by the stamp valuation authority referred to in section 50C of the Act at thirty lakh rupees or more.	Inspector-General appointed under section 3 of the Registration Act, 1908 or Registrar or Sub-Registrar appointed under section 6 of that Act.
11.	Receipt of cash payment exceeding two lakh rupees for sale, by any person, of goods or services of any nature (other than those specified at Sl. No. 1 to 10 of this rule, if any.	Any person who is liable for audit under section 44AB of the Act.

- (3) The reporting person mentioned in column (3) of the Table under sub-rule (2) (other than the person at Sl.No.9) shall, while aggregating the amounts for determining the threshold amount for reporting in respect of any person as specified in column (2) of the said Table,-
 - (a) take into account all the accounts of the same nature as specified in column (2) of the said Table maintained in respect of that person during the financial year;
 - (b) aggregate all the transactions of the same nature as specified in column (2) of the said Table recorded in respect of that person during the financial year;
 - (c) attribute the entire value of the transaction or the aggregated value of all the transactions to all the persons, in a case where the account is maintained or transaction is recorded in the name of more than one person;
 - (d) apply the threshold limit separately to deposits and withdrawals in respect of transaction specified in item (c) under column (2), against Sl. No. 1 of the said Table.
- (4)(a) The return in Form No. 61A referred to in sub-rule (1) shall be furnished to the Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) or the Joint Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) through online transmission of electronic data to a server designated for this purpose under the digital signature of the person specified in sub-rule (7) and in accordance with the data structure specified in this regard by the Principal Director General of Income-tax (Systems):

Provided that in case of a reporting person, being a Post Master General or a Registrar or an Inspector General referred to in sub-rule (2), the said return in Form 61A may be furnished in a computer readable media, being a Compact Disc or Digital Video Disc (DVD), alongwith the verification in Form-V on paper.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, "digital signature" means a digital signature issued by any Certifying Authority authorised to issue such certificates by the Controller of Certifying Authorities.

- (b) Principal Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, data structures and standards for ensuring secure capture and transmission of data, evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.
- (c) The Board may designate an officer as Information Statement Administrator, not below the rank of a Joint Director of Income-tax for the purposes of day to day administration in relation to the furnishing of returns or statements.

- (5) The statement of financial transactions referred to in sub-rule (1) shall be furnished on or before the 31st May, immediately following the financial year in which the transaction is registered or recorded.
- (6) (a) Every reporting person mentioned in column (3) of the Table under sub-rule (2) shall communicate to the Principal Director General of Income-tax (Systems) the name, designation, address and telephone number of the Designated Director and the Principal Officer and obtain a registration number.
- (b) It shall be the duty of every person specified in column (3) of the Table under sub-rule (2), its Designated Director, Principal Officer and employees to observe the procedure and the manner of maintaining information as specified by its regulator and ensure compliance with the obligations imposed under section 285BA of the Act and rules 114B to 114D and this rule.

Explanation 1.- "Designated Director" means a person designated by the reporting person to ensure overall compliance with the obligations imposed under section 285BA of the Act and the rules 114B to 114D and this rule and includes—

- (i) the Managing Director or a whole-time Director, as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), duly authorised by the Board of Directors if the reporting person is a company;
- (ii) the managing partner if the reporting person is a partnership firm;
- (iii) the proprietor if the reporting person is a proprietorship concern;
- (iv) the managing trustee if the reporting person is a trust;
- (v) a person or individual, as the case may be, who controls and manages the affairs of the reporting entity if the reporting person is, an unincorporated association or, a body of individuals or, any other person.

Explanation 2.- "Principal Officer" means an officer designated by the reporting person referred to in the Table in sub-rule (2).

Explanation 3.- "Regulator" means a person or an authority or a Government which is vested with the power to license, authorise, register, regulate or supervise the activity of the reporting person referred to in the Table in sub-rule (2).

(7) The statement of financial transaction referred to in sub-rule (1) shall be signed, verified and furnished by the Designated Director specified in sub-rule (6):

Provided that where the reporting person is a non-resident, the statement may be signed, verified and furnished by a person who holds a valid power of attorney from such Designated Director".

3. In the said rules, in Appendix-II, for "Forms 60, 61 and 61A" the following "Forms 60, 61 and 61A" shall respectively be substituted, namely:-

"FORM NO. 60 [See second proviso to rule 114B]

Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B

1	First Name		-								Date	of B	irth/	Incor	porat	ion o	f decla	rant
	Middle				\top			\neg		. 2	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
	Name				+													ŀ
	Surname	156831.1.	503		- 1 %		1. 460				Digital sea	1 186	distant	4.5 F (1.5 K)	9.52		7.4	
3	Father's Name (in case of individual) First Name				<u></u>									1 25, 25,			1.0	
	Middle																	
	Surname									-					ļ			
4	Flat/ Room No.		5	Floor No),					L	1	1					_l	
6	Name of premises		7	Block Na	ame	/No.												
8	Road/ Street/ Lane		9	Area/ Lo	cali	ty											_	
10	Town/ City	1	1	District						12	St	ate						
	•																	
13	Pin code 14 Telephone N	lumber (with	STD cod	e)	-			15	Мо	bile 1	Num	ber					-
					, -						·		_					
16	Amount of transaction (Rs.)		,	<u> </u>	Ļ				18					isacti f pers				
17	Date of transaction D D M	M		Y Y		Y 	Y			in	he tra	ansac	tion					
19	Mode of transaction: ☐ Cash, ☐ Cheque, ☐	Card,	□ D	raft/Banl	cer's	S Che	que,		Onli	ne tra	nsfer	, 🗆	Othe	r				
20	Aadhaar Number issued by UIDAI (if available)															_	_	
21	If applied for PAN and it is not yet generated edate of application and acknowledgement numbers.	nter ber		D		D		M		$\frac{M}{\Box}$		Y		Y		Y		Y
22	If PAN not applied, fill estimated total income for the financial year in which the above transa	(includ	ing ii held	ncome of	spc	ouse,	mino	r cł	nild e	tc. a	s per	secti	on 64	of I	ncom	e-tax	Act,	.961)
	a Agricultural income (Rs.)																	
	b Other than agricultural income (Rs.)																	
23	Details of document being produced in support of identify in Column 1 (Refer nt code			Document identification number					Name and address of the authority issuing the document									
24	D Claric Cr action	code		cument ic	lent	ificat	ion	- 1		and nent	addr	ess o	f the	autho	rity is	ssuing	g the	
	(Rejer Instruction overledj) Verification																	
in w	of. I further declare that I do not have a Permaner detc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) hich the above transaction is held will be less that fied today, the day of day of	nt Accou comput an maxin	int N ed in num	accordar amount r	id m ice v	y/ ou with	ır esti the pı	ma rovi	ted to	ntal i	com	e (ind e-tax	cludii Act,	ng ind	ome for t	of spe	ouse, i nancia	nınor
Plac	e:											(3	ıgnat	ure o	, ucci	aranı	,	
Note	e!	المحمد الماسية	afa. L	imaalf th	at th	ne in	forma	tior	ı fiiri	nishe	d in t	his fo	orm i	s true	corr	ect ar	nd con	nplete

- 1. Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable,-
 - (i) in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
 - months but which may extend to seven years and with fine,

 (ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with
- The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 22b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and column 21 is duly filled.

Instruction:

(1) Documents which can be produced in support of identity and address (not required if applied for PAN and item 20 is filled): -

Sl.	Nat	ure of Document	Document Code	Proof of Identity	Proof of Address
A	For	Individuals and HUF			
	1.	AADHAR card	01	Yes	Yes
	2.	Bank/Post office passbook bearing photograph of the person	02	Yes	Yes
{	3.	Elector's photo identity card	03	Yes	Yes
	4.	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of	04	Yes	Yes
	5.	the person Driving License	05	Yes	Yes
	6.	Passport	06	Yes	Yes
	7.	Pensioner Photo card	07	Yes	Yes
	8.	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job card	08	Yes	Yes
	9.	Caste or Domicile certificate bearing photo of the person	09	Yes	Yes
	10.	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer as per annexure A prescribed in Form 49A	10	Yes	Yes
	11.	Certificate from employer as per annexure B prescribed in Form 49A	11	Yes	Yes
	12.	Kisan passbook bearing photo	12	Yes	No
	13.	Arm's license	13	Yes	No
	14.	Central Government Health Scheme /Ex-servicemen Contributory Health Scheme card	14	Yes	No
	15. Photo identity card issued by the government./ Public Sector Undertaking		15	Yes	No
	16.	Electricity bill (Not more than 3 months old)	16	No	Yes
	17.	Landline Telephone bill (Not more than 3 months old)	17	No	Yes
	18.	Water bill (Not more than 3 months old)	18	No	Yes
	19.	Consumer gas card/book or piped gas bill (Not more than 3 months old)	19	No	Yes
	20.	Bank Account Statement (Not more than 3 months old)	20	No	Yes
	21.	Credit Card statement (Not more than 3 months old)	21	No	Yes
	22.	Depository Account Statement (Not more than 3 months old)	22	No	Yes
	23.	Property registration document	23	No	Yes
	24.	Allotment letter of accommodation from Government	24	No	Yes
	25.	Passport of spouse bearing name of the person	25	No	Yes
	26.	Property tax payment receipt (Not more than one year old)	26	No	Yes
В	For	Association of persons (Trusts)			
	Cop	y of trust deed or copy of certificate of registration issued by rity Commissioner	27	Yes	Yes
С		Association of persons (other than Trusts) or Body of ividuals or Local authority or Artificial Juridical Person)	100000000000000000000000000000000000000		er a phreis s
	Cha com Cen	y of Agreement or copy of certificate of registration issued by rity commissioner or Registrar of Cooperative society or any other petent authority or any other document originating from any tral or State Government Department establishing identity and ress of such person.	28	Yes	Yes

⁽²⁾ In case of a transaction in the name of a Minor, any of the above mentioned documents as proof of Identity and Address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent/guardian.

(3) For HUF any document in the name of Karta of HUF is required.

In case the estimated total income in column 22b exceeds the maximum amount not chargeable to tax the person should apply for PAN, fill out item 21 and furnish proof of submission of application.

⁽⁴⁾ In case the transaction is in the name of more than one person the total number of persons should be mentioned in Sl. No. 18 and the total amount of transaction is to be filled in Sl. No. 16.

FORM NO. 61

[See sub-rule (1) of rule 114D]

Statement containing particulars of declaration received in Form No. 60 PART A: STATEMENT DETAILS

(This information should be provided for each Statement submitted together)

A41	REPORTING PERSON DE	TAILS
A.1.1	Reporting Person Name	**************************************
A.1.2	Income-tax Department Reporting Entity Identification Number	
A.1.3	Registration Number	
A 2	STATEMENT DETAILS	
A.2.1	Statement Type	Insert 2 character code
A.2.2	Statement Number	
A.2.3	Original Statement Id	
A.2.4	Reason for Correction	Insert 1 character code
A.2.5	Statement Date	
A.2.6	Reporting Period	
A.2.7	Number of Reports	
-А.3	PRINCIPAL OFFICER DET	AILS
A.3.1	Officer Name	. 1
A.3.2	Officer Designation	
A.3.3	Address	
A.3.4	City / Town	
A.3.5	Postal Code	
A.3.6	State Code	Insert 2 character code
A.3.7	Country Code	Insert 2 character code
A.3.8	Telephone	
A.3.9	Mobile	•
A.3.10	Fax	
A.3.11	Email	

PART B: REPORT DETAILS FOR FINANCIAL TRANSACTIONS

B11	REPORT NUMBER (To be provide	ed f	or ea	ch p	person (being reported)
B.1.1	Report Serial Number		•	*	
B.1.2	Original Report Serial Number			71	. Nest of the second
B.2	PERSON DETAILS				
B.2.1	Person Name	, <u>.</u>		225 803	Section 1. Control of the Control of
B.2.2	Date of birth/Incorporation				
.B.2.3	Father's Name (for individuals)				
B.2.4	PAN Acknowledgement		5.	-	
B.2.5	Aadhaar Number				
B.2.6	Address				
B.2.7	City / Town				
B.2.8	Postal Code				
B.2.9	State Code				Insert 2 character code
B.2.10	Country Code				Insert 2 character code
B.2.11	Mobile/Telephone Number			_	
B.2.12	Estimated agricultural income				·
В.2.13	Estimated non-agricultural income				
B.2.14	Remarks				
.B3⊅. # /	FINANCIAL TRANSACTION SUMM	īA;	Y		
B.3.1	Transaction Date				·
B.3.2	Transaction ID				
B.3.3	Transaction Type				Insert 2 character code
B.3.4	Transaction Amount				
B.3.5	Transaction Mode				Insert 2 character code

FORM No. 61A

[See rule 114E]

Statement of Specified Financial Transactions under section 285BA(1) of the Income-tax Act, 1961 PART A: STATEMENTDETAILS

(This information should be provided for each Statement submitted together)

A.1	REPORTING ENTITY DET	AILS
A.1.1	Reporting Entity Name	
A.1.2	Income-tax Department Reporting Entity Identification Number	
A.1.3	Registration Number	
A.2	STATEMENT DETAILS	
A.2.1	Statement Type	Insert 2 character code
A.2.2	Statement Number	
A.2.3	Original Statement Id	
A.2.4	Reason for Correction	Insert 1 character code
A.2.5	Statement Date	
A.2.6	Reporting Period	
A.2.7	Report Types	, Insert 2 character codes
A.2.8	Number of Reports	
A3	PRINCIPAL OFFICER DET	AILS
A.3.1	Name	
A.3.2	Designation	
A.3.3	Address	
A.3.4	City / Town	
A.3.5	Postal Code	
A.3.6	State Code	Insert 2 character code
A.3.7	Country Code	Insert 2 character code
A.3.8	Telephone	
A.3.9	Mobile	
A.3.10	Fax	
A.3.11	Email	

PART B: REPORT DETAILS FOR AGGREGATED FINANCIAL TRANSACTIONS

	THE DITTE OF BEINGEON	
B44 . **	REPORT NUMBER (Fo be provide	d for each person being reported).
B.1.1	Report Serial Number	
B.1.2	Original Report Serial Number	A PARTE NUMBER OF THE PROPERTY OF THE
B/2	RERSONDETAILS 4	
B.2.1	Person Name	
B.2.2	Person Type	Insert 2 character code
B.2.3	Customer Identity	
B.2.4	Gender (for individuals)	Insert 1 character code
B.2.5	Father's Name (for individuals)	
B.2.6	PAN	
B.2.7	Aadhaar Number (for individuals)	·
B.2.8	Form 60 Acknowledgment	
B.2.9	Identification Type	Insert 1 character code
B.2.10	Identification Number	
B.2.11	Date of birth/Incorporation	
B.2.12	Nationality/Country of Incorporation	Insert 2 character code
B.2.13	Business or occupation	
B.2.14	Address	***
B.2.15	Address Type	Insert 1 character code
B.2.16	City / Town	
B.2.17	Postal Code	
B.2.18	State Code	Insert 2 character code
B.2.19	Country Code	Insert 2 character code
B.2.20	Mobile/Telephone Number	
B.2.21	Other Contact Number	·
B.2.22	Email	
B.2.23	Remarks	
3 30	FINANCIAL TRANSACTION SUMM	i ARY
B.3.1	Product Type	Insert 2 character code
B.3.2	Aggregate gross amount received from the person	
B.3.3	Aggregate gross amount received from the person in cash	
B.3.4	Aggregate gross amount paid to the person	·
B.3.5	Remarks	

B/4	ENANGIAL PRODUCTE DETAILS	(Fro be provided for each distinctive product)
B.4.1	Product Identifier	
B.4.2	Last Date of Transaction	
B.4.3	Aggregate gross amount received from the person	
B.4.4	Aggregate gross amount received from the person in cash	
B.4.5	Aggregate gross amount paid to the person	
B.4.6	Related Account Number	
B.4.7	Related Institution Name	
B.4.8	Related Institution Ref Number	
B.4.9	Remarks	r str. str.

ľ

PART C: REPORT DETAILS FOR BANK/POST OFFICE ACCOUNT

(This information should be provided for each Account being reported)

	Си	REPORT NUMBER (To be provid	ed for each account being reported)
	C.1.1	Report Serial Number	
	C.1.2	Original Report Serial Number	A Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
roll Francisco	0,/2	ACCOUNT DETAILS	
	C.2.1	Account Type	Insert 2 character code
	C.2.2	Account Number	
	C.2.3	Account Holder Name	gentless to a second of the second
	C.2.4	Account Status	Insert 1 character code
	C.2.5	Branch Reference Number	
	C.2.6	Branch Name	
	C.2.7	Branch Address	
	C.2.8	City Town	
	C.2.9	Postal Code	
	C.2.10	State Code	Insert 2 character code
	C.2.11	Country Code	Insert 2 character code
	C.2.12	Telephone	
	C.2.13	Mobile	
	C.2.14	Fax	
	C.2.15	Email	
1	C.2.16	Remarks	
	0.8	ACCOUNT SUMMARY	
	C.3.1	Aggregate gross amount credited to the account in cash	
	C.3.2	Aggregate gross amount debited to the account in cash	
	C.3.3	Remarks	
	G(4)	PERSON DETAILS (To be provid	ed for each person related to the account)
	C.4.1	Account Relationship	Insert 1 character code
	C.4.2	Person Name	
	C.4.3	Person Type	Insert 2 character code
	C.4.4	Customer Identity	
	C.4.5	Gender (for individuals)	Insert 1 character code
	C.4.6	Father's Name (for individuals)	
	C.4.7	PAN	
	C.4.8	Aadhaar Number (for individuals)	
į	C.4.9	Form 60 Acknowledgment	

Ç.4.10	Identification Type	Insert 1 character code
C.4.11	Identification Number	
C.4.12	Date of birth/Incorporation	
C.4.13	Nationality/Country of Incorporation	Insert 2 character code
C.4.14	Business or occupation	The state of the s
THE STATE OF THE S	Vice- 12 4 4	
C.4.15	Address	
	·	
C.4.16	Address Type	Insert 1 character code
C.4.17	City / Town	
C.4.18	Postal Code	
C.4.19	State Code	Insert 2 character code
C.4.20	Country Code	Insert 2 character code
C.4.21	Mobile/Telephone Number	
C.4.22	Other Contact Number	
C.4.23	Email	·
C.4.24	Remarks	

PART D: REPORT DETAILS FOR IMMOVABLE PROPERTY TRANSACTIONS

(This information should be provided for each Transaction being reported)

DAL .	REPORT NUMBER (To be provid	ed for each transaction being reported)
D.1.1	Report Serial Number	
D.1.2	Original Report Serial Number	and the state of t
D2	TRANSACTION DETAILS	
D.2.1	Transaction Date	THE STATE OF THE PARTY OF THE P
D.2.2	Transaction Identity	
D.2.3	Transaction Type	Insert 1 character code
D.2.4	Transaction Amount	
D.2.5	Property Type	Insert 1 character code
D.2.6	Whether property is within municipal limits	Insert 1 character code
D.2.7	Property Address	
D.2.8	City / Town	
D.2.9	Postal Code	
D.2.10	State Code	Insert 2 character code
D.2.11	Country Code	Insert 2 character code
D.2.12	Stamp Value	
D.2.13	Remarks	
Day.	PERSON DETAILS (To be provide	ed for each person related to the transaction)
D.3.1	Transaction Relation	Insert 2 character code
D.3.2	Transaction Amount related to the person	
D.3.3	Person Name	
D.3.4	Person Type	Insert 2 character code
D.3.5	Gender (for individuals)	Insert 1 character code
D.3.6	Father's Name (for individuals)	
D.3.7	PAN	
D.3.8	Aadhaar Number (for individuals)	
D.3.9	Form 60 Acknowledgment	
D.3.10	Identification Type	Insert 1 character code
D.3.11	Identification Number	
D.3.12	Date of birth/Incorporation	
D.3.13	Nationality/Country of Incorporation	Insert 2 character code
D.3.14	Address	
	,	

D.3.15	City / Town	
D.3.16	Postal Code	
D.3.17	State Code	Insert 2 character code
D.3.18	Country Code	Insert 2 character code
D.3.19	Mobile/Telephone Number	
D.3.20	Other Contact Number	The Mark Control of the Ma
D.3.21	Email	
D.3.22	Remarks".	

[Notification No 95 /2015][F.No. 142/28/2012-(SO)TPL]

[Ekta Jain]

Deputy Secretary to Government of India

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR 978E, dated the 16th December, 2015.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिस्चना

नई दिल्ली, तारीख 30 दिसम्बर, 2015

का.आ. (अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क, धारा 271चकक और धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बाइसवाँ संशोधन) नियम, 2015 है।
- (2) नियम 114ख, नियम 114ग और नियम 114घ 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत होंगे और नियम 114ड. 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत होगा ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 114ख, नियम 114म, नियम 114च और नियम 114ड. के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"114ख. वे संव्यवहार, जिनके संबंध में धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए सभी दस्तावेजों में स्थायी लेखा संख्यांक को कोट किया जाएगा-

प्रत्येक व्यक्ति नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में अपने स्थायी लेखा संख्यांक को कोट करेगा, अर्थात् :--

सारणी

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संव्यवहार का मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	दुपिहया यानों से भिन्न किसी मोटरयान या मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथा पिरभाषित मोटरयान का क्रय या विक्रय, जिसका उस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है।	
2.	किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है), के पास खाता (क्रम सं0 12 में निर्दिष्ट सावधिक जमा और आधारभूत बैंक जमा बचत खाता से भिन्न) खोलना ।	ऐसे सभी संव्यवहार ।

fire.

i

3.	किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक को जिसे जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) या किसी अन्य कंपनी या संस्था को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करना,	
4.	किसी निक्षेपागार सहभागी, प्रतिभूति अभिरक्षक या भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास डीमैट खाता खोलना ।	
5.	किसी एक समय किसी होटल या रेस्टोरेंट को किसी बीजक या बीजकों के लिए संदाय करना ।	पचास हजार रुपए से अधिक किसी रकम का नकद संदाय ।
6.	किसी विदेश यात्रा के संबंध में संदाय या किसी समय किसी विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए संदाय ।	पचास हजार रुपए से अधिक किसी रकम का नकद संदाय ।
7.	किसी पारस्परिक निधि को उसकी यूनिटों के क्रय के लिए संदाय ।	पचास हजार रुपए से अधिक रकम ।
8.	किसी कंपनी या संस्था को उसके द्वारा जारी डिबेंचरों या बंधपत्रों का अर्जन करने के लिए संदाय ।	पचास हजार रुपए से अधिक रकम ।
9.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक को उसके द्वारा जारी बंधपत्रों का अर्जन करने के लिए संदाय ।	
10.	किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) के पास जमा ।	
11.	किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) से बैंक ड्राफ्ट, पे-आडर या बैंकर्स चेकों का क्रय।	पचास हजार रुपए से
12.	निम्नलिखित के पास सावधिक जमा,- (i) कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या	पचास हजार रुपए से अधिक की रकम या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपए से अधिक की कुल रकम ।

	बैंककारी संस्था है) ;	
	(ii) डाकघर ;	
	(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में निर्दिष्ट कोई निधि ; या	
	(iv) कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसके पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झक के अधीन जनता से जमा रखने या स्वीकार करने के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र है।	
13.	किसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी बैंक को, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) या किसी अन्य कंपनी या संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के अधीन जारी पूर्व संदत्त संदाय लिखतों को जारी और उनका प्रवर्तन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथापरिभाषित एक या अधिक पूर्व संदत्त लिखतों के लिए संदाय।	पचास हजार रुपए से अधिक कुल रकम का नकद या बैंक ड्राफ्ट या पे-आडर या बैकर्स चेक के
14.	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड 9 में यथापरिभाषित किसी बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम का संदाय।	किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक की कुल रकम ।
15.	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियों (शेयरों से भिन्न) का विक्रय या क्रय करने के लिए संविदा ।	
16.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी के, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, के शेयरों का क्रय या विक्रय ।	प्रति संव्यवहार एक लाख रुपए से अधिक रकम ।
17.	किसी स्थावर संपितत का क्रय या विक्रय ।	दस लाख रुपए से अधिक रकम या अधिनियम की धारा 50ग में निर्दिष्ट स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित दस लाख रुपए से अधिक कोई रकम ।
18.	इस सारणी के क्रम सं0 1 से 17 में विनिर्दिष्ट से भिन्न वस्तुओं या सेवाओं का किसी व्यक्ति द्वारा क्रय या विक्रय ।	प्रति संव्यवहार दो लाख रुपए से अधिक रकम ।

परंतु जहां कोई व्यक्ति इस नियम में निर्दिष्ट संव्यवहार में प्रविष्ट होता है, जो अवयस्क है और जिसके पास आयकर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, वह उक्त संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में यथास्थिति, अपने पिता या माता या अभिभावक के स्थायी लेखा संख्यांक को कोट करेगा:

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जिसके पास स्थायी लेखा संख्यांक नहीं है और जो इस नियम में विनिर्दिष्ट किसी संव्यवहार में प्रविष्ट होता है, वह प्ररूप 60 में ऐसे संव्यवहार की विशिष्टियों को देते हुए एक घोषणा करेगा:

परंतु यह भी कि इस नियम के उपबंध व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्ग या वर्गों को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :--

- (i) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और कंसुलर कार्यालय ;
- (ii) सारणी के क्रम सं0 1 या 2 या 4 या 7 या 8 या 10 या 12 या 14 या 15 या 16 या 17 में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में अधिनियम की धारा 2 के खंड 30 में निर्दिष्ट अनिवासी। स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-
 - (1) "यात्रा के संबंध में संदाय" के अंतर्गत किराए या यात्रा अभिकर्ता या टूर आपरेटर या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी प्राधिकृत व्यक्ति को संदाय सम्मिलित है;
 - (2) "यात्रा अभिकर्ता या टूर आपरेटर" के अंतर्गत कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जो वायु, भूतल या समुद्री यात्रा के लिए इंतजाम करता है या आवास, टूर, मनोरंजन, पासपोर्ट, वीजा, विदेशी मुद्रा, यात्रा से संबंधित बीमा या यात्रा से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए पृथकत: या किसी पैकेज में सेवाएं उपलब्ध कराता है ;
 - (3) "सावधिक जमा" से कोई जमा अभिप्रेत है, जिसका नियत अवधि के अवसान पर पुनर्संदाय किया जाना है ।

114ग. नियम 114ख में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों में स्थायी लेखा संख्यांक का सत्यापन ,-

- (1) कोई व्यक्ति, जो,-
- (क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई महानिरीक्षक है ;
 - (ख) ऐसा व्यक्ति है, जो स्थावर संपत्ति या मोटरयान का क्रय करता है ;
- (ग) नियम 114ख के क्रम सं0 2 या 3 या 10 या 11 या 12 या 13 में निर्दिष्ट यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक का कोई प्रबंधक या अधिकारी है;
 - (घ) डाकपाल है ;
- (इ.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्टाक ब्रोकर, सब ब्रोकर या शेयर अंतरण अभिकर्ता, किसी निर्गम का बैंकर, किसी न्यास विलेख का न्यासी, किसी निर्गम का रजिस्ट्रार, मर्चेट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, विनिधान सलाहकार और रजिस्ट्रीकृत ऐसी अन्य मध्यवर्तियां हैं;
- (च) नियम 114ख के क्रम सं0 4 में निर्दिष्ट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार, सहभागी, प्रतिभूति अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति ;
- (छ) नियम 114ख के क्रम सं0 3 या 4 या 8 या 12 या 13 या 15 या 16 में निर्दिष्ट किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी ;
- (ज) नियम 114ख के क्रम सं0 2 या 3 या 8 या 10 या 11 या 12 या 13 में निर्दिष्ट किसी संस्था का प्रधान अधिकारी :
- (झ) नियम 114़ के क्रम सं0 7 में निर्दिष्ट कोई न्यासी या किसी पारस्परिक निधि के न्यासी द्वारा सम्कतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;
- (ज) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण बैंक ;
- (ट) नियम 114ख के क्रम सं0 14 में निर्दिष्ट किसी बीमाकर्ता का कोई प्रबंधक या अधिकारी ; जिसने नियम 114ख में निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त किया है, सत्यापन के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी लेखा संख्यांक को सम्यकतः और सही रूप से उसमें वर्णित किया गया है या यथास्थिति, प्ररूप 60 में घोषणा पूर्ण विशिष्टियों के साथ सम्यकतः प्रस्तृत की गई हैं।
- (2) कोई व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है, जो नियम 114ख के क्रम सं0 5 या 6 या 18 में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में बीजक प्रदान कर रहा है, जिसने कोई दस्तावेज जारी किया है सत्यापन के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी लेखा संख्यांक को सम्यकत: और सही रूप से उसमें वर्णित किया गया है या यथास्थिति, प्ररूप 60 में घोषणा पूर्ण विशिष्टियों के साथ सम्यकत: प्रस्तुत की गई हैं।

114घ. वह समय और रीति, जिसमें नियम 114ग में निर्दिष्ट व्यक्ति प्ररूप 60 में अंतर्विष्ट विशिष्टियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे,-

- (1) निम्नलिखित में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति,-
 - (I) नियम 114ग के उपनियम (1) के खंड (ख) से खंड (ट) ; और
 - (II) नियम 114ग के उपनियम (2) में, जिससे अधिनियम की धारा 44कख के अधीन उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाना अपेक्षित है,

जिसने नियम 114ख में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् प्ररूप संख्या 60 में कोई घोषणा प्राप्त की है,

- (i) निदेशक, आयकर, (आसूचना और आपराधिक जांच), संयुक्त निदेशक, आयकर, (आसूचना और आपराधिक जांच) को इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट सर्वर को इलेक्ट्रानिकी डाटा के आनलाइन पारेषण के माध्यम से ऐसी घोषणा की विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए प्ररूप संख्या 61 में विवरण प्रस्तुत करेगा और एक अभिस्वीकृति संख्या अभिप्राप्त करेगा; और
- (ii) उस वित्तीय वर्ष, जिसमें संव्यवहार किया गया था, के अंत से छह वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप संख्या 60 को प्रतिधारित करेगा ।
- (2) उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विवरण,-
 - (i) जहां घोषणाएं 30 सितंबर तक प्राप्त की जाती हैं, उस वर्ष के 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत किया जाएगा ; और
 - (ii) जहां घोषणाएं 31 मार्च तक प्राप्त की जाती हैं, उस वर्ष, जिसमें प्ररूप प्राप्त किया गया था, के तुरंत पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (3) उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विवरण का निम्नलिखित दशाओं में सत्यापन किया जाएगा,-
 - (क) उस दशा में विवरण प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 140 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (7) में यथाविनिर्दिष्ट कोई निर्धारिती है ;
 - (ख) किसी अन्य दशा में, नियम 114ग में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ।

114 इ वित्तीय संव्यवहारों के विवरण का प्रस्तुत किया जाना .-

- (1) अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित वित्तीय संव्यवहारों का विवरण, किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में प्ररूप सं. 61क में प्रस्तुत किया जाएगा और उसे उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा ।
- (2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट विवरण, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उप नियम (3) के उपबंधों के अनुसार उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्य के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे उसके द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत या लेखबद्ध किया गया है, अर्थात् :-

,							
क्रम सं.	संव्यवहार की प्रकृति और मूल्य	व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्टिंग					
		व्यक्ति)					
(1)	(2)	(3)					
1.	(क) किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए या अधिक के कुल मूल्य	कोई बैंककारी कंपनी या कोई					
	वाले बैंक ड्राफ्टों या संदाय आदेशों या बैंकर चैक के क्रय के लिए	सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी					
	नकद में किए गए संदाय।	विनियमन अधिनियम, 1949					
	(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान कुल दस लाख रुपए या अधिक के नकद	(1949 का 10) लागू होता है					
	के संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51)	(जिसके अंतर्गत उस अधिनियम					
	की धारा 18 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पूर्व संदत्त	की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक					
	लिखतों के क्रय के लिए किए गए संदाय ।	या बैंककारी संस्था भी है) ।					
	(ग) किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू	·					
	खाते में या उससे पचास लाख रुपए या अधिक के कुल नकद						
	निक्षेप या नकद निकाला जाना (जिसके अंतर्गत वाहक चैक के						
	माध्यम से निकाली गई रकम भी है ।)						
2.	किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों	(i) कोई बैंककारी कंपनी या कोई					
	(चालू खाते और सावधि निक्षेप से भिन्न खाते) में दस लाख रुपए	सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी					
	या अधिक के कुल मूल्य के नकद निक्षेप ।	विनियमन अधिनियम, 1949					
		(1949 का 10) लागू होता है					
		(जिसके अंतर्गत उस अधिनियम					
		की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक					
		या बैंककारी संस्था भी है)।					
		(ii) भारतीय डाकघर अधिनियम,					
		1898 (1898 का 6) की धारा 2 के					
		खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट					
		खंड (ञ) में यथानिदिष्ट					
		पोस्टमास्टर जनरल ।					
		. ` `					

सावधि निक्षेप के नवीकरण के माध्यम से किए गए सावधि निक्षेप सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी से भिन्न) में किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए या अधिक की विनियमन अधिनियम, 1949 कुल रकम का सावधि निक्षेप। (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है)। (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट पोस्टमास्टर जनरल । (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में निर्दिष्ट निधि; (iv) ऐसी कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, जो जनता से निक्षेप धारण या स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 6) की धारा 45 झक के अधीन रजिस्ट्रकरण प्रमाणपत्र धारण करती है। 4. कोई बैंककारी कंपनी या कोई किसी व्यक्ति द्वारा किए गए निम्नलिखित क्ल रकम के संदाय-(i) नकद में एक लाख या अधिक ; या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी (ii) किसी अन्य पद्धति द्वारा दस लाख रुपए या अधिक, विनियमन अधिनियम, 1949 जिसका संदाय उस व्यक्ति दवारा किसी वित्तीय वर्ष में, उसे जारी (1949 का 10) लागू होता है एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के संबंध में जारी बिल के लिए किया (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम गया है। की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कोई अन्य कंपनी या संस्था। 5. बंधपत्र या डिबेंचर जारी करने किसी व्यक्ति से किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए या अधिक की रकम की प्राप्ति, जिसे किसी कंपनी या संस्था दवारा जारी वाली कोई कंपनी या संस्था। बंधपत्रों या डिबेंचरों के अर्जन के लिए प्राप्त किया गया है (उस कंपनी दवारा जारी बंधपत्र या डिबेंचर के नवीकरण के मद्दे प्राप्त रकम से भिन्न)।

	9	
6.	किसी व्यक्ति से दस लाख रुपए या अधिक की कुल रकम की	शेयर जारी करने वाली कोई
	प्राप्ति, जिसे किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा जारी शेयरों का	कंपनी ।
	अर्जन करने के लिए प्राप्त किया गया है (जिसके अंतर्गत शेयर	
	आवेदन धन भी है)।	,
<u> </u>		
7.	किसी व्यक्ति से क्रय द्वारा शेयर वापिस लेना (खुले बाजार में क्रय	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013
	किए गए शेयरों से भिन्न) जिसके लिए किसी वित्तीय वर्ष में दस	का 18) की धारा 68 के अधीन
	लाख रुपए या अधिक की कुल रकम या मूल्य के लिए संदाय किया	अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों का
	गया है।	क्रय करने के लिए किसी
		मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में
		सूचीबद्ध कोई कंपनी ।
8.	किसी व्यक्ति से, किसी वित्तीय वर्ष में किसी परस्पर निधि की	किसी परस्पर निधि का कोई
	एक या अधिक स्कीमों के यूनिटों का अर्जन करने के लिए दस	न्यासी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो
	लाख रुपए या अधिक की कुल रकम की प्राप्ति (उस परस्पर निधि	उस परस्पर निधि के कार्यों का
	की एक स्कीम से अन्य स्कीम में अंतरण के मद्दे प्राप्त रकम से	प्रबंधन कर रहा है, जिसे न्यासी
	भिन्न)।	दवारा इस निमित्त सम्यक् रूप
		से प्राधिकृत किया गया है।
9.	किसी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा के विक्रय के लिए, जिसके अंतर्गत	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,
	किसी विदेशी विनिमय में ऐसी मुद्रा का कोई प्रत्यय या डेबिट	1999 (1999 का 42) की धारा 2 के
	अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऐसी मुद्रा का व्यय या कोई यात्री	खंड (ग) में यथा निर्दिष्ट
	चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य लिखत द्वारा ऐसी मुद्रा	प्राधिकृत व्यक्ति ।
	में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दस लाख रुपए या अधिक की कुल	
	रकम के व्यय के लिए प्राप्ति ।	
10.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थावर संपत्ति का क्रय या विक्रय	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
	जिसकी कीमत तीस लाख रुपए या अधिक है या जिसका मूल्य	की धारा 3 के अधीन नियुक्त
	स्टांप मूल्याकंन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 50ग में	1
	निर्दिष्ट किए गए अनुसार तीस लाख रुपए या अधिक निश्चित	की धारा 6 के अधीन नियुक्ति
	किया गया है।	रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ।
r		
11.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकृति के माल या सेवाओं के विक्रय के	ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम
	लिए दो लाख रुपए से अधिक के नकद संदाय की प्राप्ति (इस	की धारा 44 कख के अधीन लेखा
1	Court de como i se 10 de Contra de Como de Contra de Con	urbon de Con and 4 1
	नियम के क्रम सं. 1 से 10 में विनिर्दिष्ट से भिन्न, यदि की हों)।	परीक्षा के लिए दायी है ।

- (3) सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित रिपोर्टिंग व्यक्ति, उपनियम (2) के अधीन (क्रम सं. 9 में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न), उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट किए जाने के लिए अवसीमा रकम का अवधारण करने के लिए,-
- (क) वित्तीय वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के संबंध में बनाए रखे गए उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट समान प्रकृति के सभी खातों को ध्यान में रखेगा ;
- (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के संबंध में लेखबद्ध उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट समान प्रकृति के सभी संव्यवहारों के कुल योग को ध्यान में रखेगा ;
- (ग) उस दशा में, जहां खातों को एक से अधिक व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है या संव्यवहार को एक से अधिक व्यक्ति के नाम पर लेखबद्ध किया जाता है, वह संव्यवहार या सभी संव्यवहारों के कुल मूल्य के संपूर्ण मूल्य को सभी व्यक्तियों पर गुणारोपित करेगा ;
- (घ) उक्त सारणी के क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (2) के अधीन मद (ग) में विनिर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में अवसीमा को पृथक् रूप से निक्षेपों और आहरणों को लागू करेगा ।
- (4) (क) विवरण को, उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप सं. 61क में आय कर निदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) या आय कर संयुक्त निदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को उप नियम (7) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी सर्वर को इलैक्ट्रोनिक डाटा के आनलाइन पारेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और यह आय कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट डाटा संरचना के अनुसार किया जाएगा:

परंतु रिपोर्टिंग व्यक्ति के उप नियम (2) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल या रजिस्ट्रार या कोई महा निरीक्षक होने की दशा में, प्ररूप 61क में दिए जाने वाले उक्त विवरण को किसी कंप्यूटर में पठनीय मीडिया में प्रस्तुत किया जा सकेगा जो कि कोई कंपेक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) के रूप में हो सकेगी और उसके साथ पत्र में प्ररूप V में सत्यापन प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए, "अंकीय हस्ताक्षर" से किसी ऐसे प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा, जो प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, जारी कोई अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत है।

- (ख) आय कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) डाटा तक सुरक्षित पहुंच और उसके पारेषण के लिए उपयुक्त सुरक्षा विकसित करने और उसे कार्यान्वित करने, आर्किवल और रिट्रीवल नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, डाटा संरचनाएं और मानक विनिर्दिष्ट करेगा।
- (ग) बोर्ड विवरणियों या विवरणों को प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए सूचना विवरण प्रशासक के रूप में किसी अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगा, जो आय कर संयुक्त निदेशक की रैंक से न्यून नहीं होगा।
- (5) उप नियम (1) में निर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों के विवरण को उस वित्तीय वर्ष, जिसमें संव्यवहार रजिस्ट्रीकृत या लेखबद्ध किया गया था, से ठीक पश्चात् 31 मई को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

- (6) (क) उप नियम (2) के अधीन सारणी स्तंभ (3) में उल्लिखित प्रत्येक रिपोर्टिंग व्यक्ति आय कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) को पदाभिहित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नं. संसूचित करेगा और उससे एक रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अभिप्राप्त करेगा।
- (ख) उप नियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, उसके पदाभिहित निदेशक, प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके विनियामक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सूचना को बनाए रखने संबंधी प्रक्रिया और रीति का पालन करें तथा अधिनियम की धारा 285खक और इस नियम तथा नियम 114ख से 114घ के अधीन अधिरोपित बाध्यताओं का अनुपालन स्निश्चित करें।

स्पष्टीकरण 1- "पदाभिहित निदेशक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 285खक और इस नियम तथा नियम 114ख से 114घ के अधीन अधिरोपित बाध्यताओं का सकल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पदाभिहित किया गया है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं –

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा परिभाषित प्रबंध निदेशक या कोई पूर्णकालिक निदेशक, जिसे यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई कंपनी है तो निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है;
- (ii) यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई भागीदारी फर्म है तो प्रबंध भागीदार ;
- (iii) यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई स्वायत्त इकाई है तो उसका स्वामी;
- (iv) यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई न्यास है तो प्रबंध न्यासी;
- (v) यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई अनिगमित संगम या व्यष्टिक निकाय या कोई अन्य व्यक्ति है तो, यथास्थिति, ऐसा कोई व्यक्ति या व्यष्टि, जो रिपोर्टिंग अस्तित्व के कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध करता है।

स्पष्टीकरण 2 – "प्रधान अधिकारी" से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उप नियम (2) की सारणी में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा पदाभिहित किया गया है।

स्पष्टीकरण 3 – "विनियामक" से ऐसा कोई व्यक्ति या प्राधिकरण या कोई सरकार अभिप्रेत है जिसमें उपनियम (2) की सारणी में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति के क्रियाकलापों का विनियमन या अधीक्षण करने या उसे अनुज्ञप्ति प्रदान करने, उसे प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत, विनियमित करने की शक्ति निहित है।

(7) उप नियम (1) में निर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार के विवरण को उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट पदाभिहित निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तृत किया जाएगा:

परंतु जहां रिपोर्टिंग व्यक्ति अनिवासी है, वहां विवरण को ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षिरत, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो ऐसे पदाभिहित निदेशक से विधिमान्य मुख्तारनामा धारण करता है ।

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में, "प्ररूप 60, प्ररूप 61 और प्ररूप 61क" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित "प्ररूप 60, प्ररूप 61 और प्ररूप 61क" रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप सं0 60/ नियम114ख का दूसरा परंतुक देखिए/

उस व्यष्टि या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा फाइल किए जाने वाला घोषणा का प्ररूप, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है जो नियम 114ख में विनिर्दिष्ट कोई संव्यवहार करता है

1	प्रथम नाम				T				घोष	णा क	रने ट	गले व	ता ज	न्म/नि	गिम्न	र की
	अस्त गाव							2	तारी	ख			, \$ E.			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	सध्य नाम							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
in stati	उपनाम															
3	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए) प्रथम न		T			T				<u> </u>	J		I		<u> </u>	T
		141		, 	L, L	, 		لـــ	\perp	لہ	, 	l	ļ	 	 	
	मध्यं नाम							-	4_	+	┼	+-	-	ـ	 	
	उपनाम	La A	<u> </u>					L_	1_							<u> </u>
4	फ्लैट/कमरा नं0		5 7	तल सं0												
		e ja														
6	परिसर का नाम		7 7	ब्लॉक क	ग नाम/स	iO										
					<u> </u>											
8	सड़क/गली/लेन), (9 8	क्षेत्र/अर्वा	स्थिति											
10	नगर/शहर	1	1 1	जिला				12	रा	ज्य						
13	पिन कूट 14 टेलीफोन संख्य	ा १ (एस	 टीडी व	कट र्सा	हेत)		15	मो	_।_ बाइल	नंबर						
		,		~	. ,				•							
16	संट्यवहार की रकम (रु0)							संग	 युक्त	नाम	संर	संट्यव	हार	होने व	की	
177	संव्यवहार की तारीख D D M	T	T^{+}	, , ,		ή,,	18	1						म्मिल	ात	
17		<u> </u> M		l		Y		1	ने वात			ों की	संख्य	<u>ग</u>	\perp	
19	संव्यवहार का प्रकार : □ नगद, □ चैक, □ कार्ड	ī, □ <u>ặ</u>	गुफ्ट/हे 	वैंकर्स चै	क, □ ॲ ———	निलाइन ———	न स्थान	ांतर ्	ग, □	अन्य	Γ 					
20	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण															
	द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध)					- -	,-						. -			
	यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन किया	-	. }	D	$\frac{1}{1}$	1	<u> </u>	M		Y		<u>Y</u>		Y T		Y T
21	वह अभी तक नहीं बना है तो आवेदन की तारीर अभिस्वीकृति संख्या	ब्र आर				}										
	यदि स्थायी लेखा संख्या आवेदन नहीं किया है	चो जि	<u> </u>	े	नर्ष में मं	त्यत्वा	र किया	- 312		 3.Hab	r ææ	1 34	मानि	न भा	ारा (र्	जिस्में
22	आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तह											_	•		ч (п	21 (141
* 22.2	क कृषि आय (रु.)				1							T		<u> </u>	\neg	
	 											+-			-	
	ख कृषि से अतिरिक्त आय (रु.)				<u> </u>	<u> </u>		لے								
20				॥वज पह	ह्यान संर	<u> च्या</u>	दस्ता	वर्ज	जारा	करन	वाल	प्राधि	कारा	कान	ाम उ	भार
23	प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे कूट	ļ					पता									
	(दूसरी ओर अनुदेश देखें) स्तंभ 4 से 13 में वर्णित पते के देस्त	विज		 गतेःच एट	चान संर	त्या	दस्ता	नेज्ञ	नागि	കാച്	ताले	पाशि	कारी			 भीज
24	समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों कूट	1401	440	गयण पर्	ंताल सर	5 41	पता	401	OII	41701	पाल	япч	ाजग र ।	ના જ	11e1 S	711X
	के ब्योरे	}					""									

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ भी ऊ	नर कहा गया है वह मेर <u>ी</u>
सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है । मैं आगे और यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे पार	
है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तहत पति/पत्व	नी या अव्यसक संतान की
आय भी सम्मिलित है) उस वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त संव्यवहार किया गया है आय-कर अधिनियम	न, 1961 के प्रावधानों के
अनुसार अभिकलित की गई है जो अधिकतम करप्रभार्य आय से कम है ।	·
आज तारीख2015 को सत्यापित किया जाता है ।	
स्थान :	
·	<u> </u>

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पण:

- 1. चोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को खुद की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि इस प्ररूप्त में दी गई जानकारी पूर्णरूप से सही है, सत्य है और संपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर दंडनीय होगा,--
 - (i) ऐसी दशा में अपवंचन के लिए कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक होता है कठोर कारावास से जो छ: मास से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।
- (ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा किंतु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।
 2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां मद 22ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस रकम से अधिक हो जाती है जो कर से प्रभार्य नहीं है सिवाय तब स्थायी लेखा संख्या लागू की जाती है और स्तंभ 21 समयक्ता भरा जाता है ।

<u>अनुदेशः</u>

(1) पहचान और पते के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन दिया है और मद 20 भरा है तो आवश्यक नहीं है) :-

्रक्रम.	दस्त	गवेजों की प्रकृति	दस्तावेज कूट	पहचान प्रमाण	पते का प्रमाण
क	व्या	ष्टिकों और हिन्दु अविभक्त कुटुंब के लिए			
	1.	आधार कार्ड	01	हां	हां
	2.	बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	02	हां	हां
	3.	निर्वाचक पहचान पत्र	03	हां	हां
	4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो ।	04	हां	हां
	5.	ड्राइविंग लाईसेंस	05	हां	हां
	6.	पासपोर्ट	06	हां	हां
	7.	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
	8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड	08	हां	हां
	9.	जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	 हा	हां
	10.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण पत्र	10	हां	हां .
	11.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध ख के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
•	12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	नहीं	
	13.	हथियार लाईसेंस	13	हां	नहीं
	14.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना/पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
	15.	सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं
	16.	बिजली बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
	17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
	18.	पानी का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	18	नहीं	 हां
	19.	गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैस पाईप का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
	20.	बैंक खात विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
	21.	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
	22.	डिपॉसिटरी अकॉउंट विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
	23.	संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज	23	नहीं	हां
	24.	सरकारी आवास का आबंटन पत्र	24	नहीं	हां
	25.	पति/पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां
	26.	संपत्ति कर संदाय रसीद (एक साल से पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख	ट्यवि	त्यों के संगम (न्यास)			. ,
	न्यार प्रति	न विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की	27	हां	हां
ग	1	त्तर्यों के संगम (न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टिकों के निकाय या स्थानीय कारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति			
	समइ अन्य या र	मौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी सिमिति के रजिस्ट्रार या कोई सिक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति या केन्द्रीय जिय सरकार के किसी विभाग से व्यक्ति का स्थापना पहचान और पते का कोई दस्तावेज	28	हां	हां

- (2) किसी अव्यसक के नाम पर संव्यवहार होने की दशा में ऐसे अव्यसक के माता पिता या अभिभावक का उपरोक्त में वर्णित पहचान और पते का कोई भी प्रमाण उस अव्यसक का पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणा को माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा !
- (3) हिन्दु अविभक्त कुटुंब के लिए हिन्दु अविभक्त कुटुंब के कर्ता के नाम पर दस्तावेज अपेक्षित होगा ।
- (4) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर संव्यवहार होने की दशा में सभी व्यक्तियों की कुल संख्या क्रम संख्यांक 18 में वर्णित की जाएगी और संव्यवहार की कुल रकम क्रम संख्या 16 में भरी जाएगी ।

स्तंभ 22ख में अनुमानित आय अधिकतम कर प्रभार्य आय से अधिक होने पर व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन देना होगा, मद 21 भरना होगा और आवेदन देने का प्रमाण देना होगा ।

प्ररूप सं0 60

[नियम 114घ का उपनियम (1) देखें]

प्ररूप 60 में प्राप्त घोषणा की विशिष्टियों का विवरण

भाग क : विवरण के ब्यौरे

(प्रत्येक विवरण प्रस्तुत करने के साथ यह जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी)

		אני איי אויי אויי איי איי איי איי איי איי	
क.1	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के ब्यौरे		در در ب
क.1.1	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम		::
क.1.2	आय-कर विभाग की रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व पहचान संख्या		
क.1.3	रजिस्ट्रेशन संख्या		
क. 2	विवरणी के ब्यौरे	and the second of the second second of the second of t The second of the second of) - 75 70 - 75 70 - 80
क.2.1	विवरणी का प्रकार	2 विशिष्ट क्ट प्रविष्ट करें	
क.2.2	विवरणी संख्या		
क.2.3	मूल विवरणी परिचय .		
क.2.4	संशोधन के कारण	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें	
क.2.5	विवरणी की तारीख		
क.2.6	रिपोर्टिंग अवधि		
क.2.7	रिपोर्टों की संख्या	,	
क.3	प्रधान अधिकारी के ब्यौरे		
क.3.1	अधिकारी का नाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
क.3.2	अधिकारी का पदनाम		
क.3.3	पता		
क.3.4	शहर/नगर		
क.3.5	डाक कूट		
क.3.6	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें	
क.3.7	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें	
क.3.8	टेनीफोन		
	मोबाइल		
क.3.10	फैक्स		
क.3.11	ई-मेल		

भाग ख : समग्र वित्तीय संव्यवहार के ब्यौरों की रिपोर्ट

खं.1	रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक	ृद्य	नित	को उ	पलब्ध	कराई ज	ताएंग	ît) 🗀						<u>.</u>
ख.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या													
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या				···		,			_				
ख.2	व्यक्ति के ब्यौरे								,	, · ;			. ,	
ख.2.1	ट्यक्ति का नाम									- * * *				
ख.2.2	जन्म/निगमन की तारीख													
ख.2.3	पिता का नाम (ट्यष्टिकों के लिए)		_	-										
ख.2.4	स्थायी लेखा संख्यां अभिस्वीकृति													
ख.2.5	आधार संख्या										-			
ख.2.6	पता											-		
ख.2.7	शहर/नगर													
ख.2.8	डाक क्ट													
ख.2.9	राज्य कूट				2 वि	शेष्ट कू	<u>ਟ</u>	प्रविष्ट	करें					
ख.2.10	देश कूट				2 विधि	शेष्ट कूट	ट '	प्रविष्ट	करें					
ख.2.11	मोबाइल/टेलीफोन संख्या													
ख.2.12	अनुमानित कृषि आय													
ख.2.13	अनुमानित कृषि के अतिरिक्त आय											_		<i>[</i>
ख.2.14	टिप्पणी									- Maria da -				
ख.3	वित्तीय संव्यवहार का सारांश		*			N E			ş.,		, , ,	*		, 3,
ख.3.1	संव्यवहार की तारीख													
ख.3.2	संव्यवहार परिचय													
ख.3.3	संव्यवहार का प्रकार				2 विशि	ोष्ट कूट	5 5	विष्ट	करें					
ख.3.4	संव्यवहार की रकम													
ख.3.5	संव्यवहार का रूप				2 विशि	ोष्ट कूट	5 5	विष्ट व	करें					

प्ररूप सं0 61क

*[*नियम 114ड देखें]

आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 285खक(1) के अधीन विशिष्ट वित्तीय संव्यवहार का विवरण भाग क

: विवरण के ब्यौरे

ं (प्रत्येक विवरण प्रस्तुत करने के साथ यह जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी)

क.1	रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के ब्यौरे	F E9		⁻ []	4 - 5 M 30 au		2	ا جري يو د	+ ₂ t		**************************************	1 1 2	ř.	77, 13		م و ميواج	, 4	ዳ ች Æ
क.1.1	रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम			. , <u></u>	2' 1''	er, er			* 4				`	·				
	आय-कर विभाग की रिपोर्ट करने	<u> </u>	T 1												_			
帚.1.2	वाले अस्तित्व पहचान संख्या							L					l	<u> </u>			<u></u>	
क.1.3	रजिस्ट्रेशन संख्या																	
ক.2	विवरणी के ब्योरे व																	
क.2.1	विवरणी का प्रकार			2 वि	शेष्ट व	कूट प्	प्रविष	ट क	ť									
क.2.2	विवरणी संख्या								·									
क.2.3	मूल विवरणी पहचान										·							
क.2.4	संशोधन के कारण		1 1	वेशिष <u>्</u> ट	कूट प	प्रविष्ट	करें											
क.2.5	विवरणी की तारीख									-								
क.2.6	रिपोर्टिंग अवधि											_			-			
क.2.7	रिपोर्टों के प्रकार					_	2	विशि)ष्ट	कूट	ਸ਼	विष्	<u> </u>	Ť	-	-		
क. 2.8	रिपोर्टों की संख्या	<u> </u>	•	<u> </u>			 -					-	•					
क.3	प्रधान अधिकारी के ब्यार					A. 3. 3.	(1				17	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		1) 4. 		
क.3.1	नाम				-			-										
क.3.2	पदनाम		•								•	•			,			
क.3.3	पता				-													
क.3.4	शहर/नगर								•			-					-	
क.3.5	डाक कूट								_									
क.3.6	राज्य कूट			2 विf	शेष्ट व	ह्ट प्र	विष	ट क	ť			==:			-			
क.3.7	देश कूट		Ī	2 वि	शेष्ट वृ	_{म्} ट प्र	विष	ट क	ť	-	-				-		1	
क.3.8	ं टेलीफोन														-		=	
क.3.9	मोबाइल																	
क . 3.10	फैक्स																	
क.3.11	ई-मेल																	

भाग ख: समग्र वित्तीय संव्यवहार की रिपोर्ट के ब्यौरे

ख.1	रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक	व्यक्ति व	ने उपलब्ध कराई जाएगी)	2 (6.5) (4 (6.5) (4 (20.5) (5.6) (4 (4.5) (4.5)
অ.1.1	रिपोर्ट की क्रम संख्या	٠. ٠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या			
ख.2 .	व्यक्ति के ब्यौरे			
ख.2.1	ट्यक्ति का नाम			
ख.2.2	व्यक्ति का प्रकार		2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें	
ख.2.3	ग्राहक की पहचान			
ख.2.4	लिंग (व्यष्टिकों के लिए)		1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें	
ख.2.5	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)			
ख.2.6	स्थायी लेखा संख्या			
ख.2.7	आधार संख्या (व्यष्टिकों के लिए)			
ख.2.8	प्ररूप 60 की अभिस्वीकृति			
ख.2.9	पहचान का प्रकार		1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें	
ख.2.10	पहचान संख्या			
ख.2.11	जन्म/निगमन की तारीख			
ख.2.12	राष्ट्रियता/निगमन का देश		2 विशिष्ट क्ट प्रविष्ट करें	
ख.2.13	कारबार या वृत्ति			•
ख.2.14	पता	f .		
ख.2.15	पते का प्रकार		1 विशिष्ट क्ट प्रविष्ट करें	
ख.2.16	शहर/नगर			
ख.2.17	डाक कूट			·
ख.2.18	राज्य कूट		2 विशिष्ट क्ट प्रविष्ट करें	· ·
ख.2.19	देश कूट		2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें	
ख.2.20	मोबाइल/टेलीफोन नंबर			
ख.2.21	अन्य संपर्क नंबर			
ख.2.22	ई-मेल			
ख.2.23	टिप्पणी .			
ख.3	वित्तीय संव्यवहार का सारांश			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ख.3.1	उत्पाद का प्रकार		2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें	
ख.3.2	व्यक्ति से प्राप्त रकम का समग्र योग			

	<u> </u>	20
ख.3.3	व्यक्ति से नगद में प्राप्त रकम का समग्र योग	
ख.3.4	व्यक्ति को संदत्त समग्र रकम का योग	* +-20,25
অ.3.5	टिप्पणी "	
ਚ.4	वित्तीय उत्पाद के ब्यौरे (प्रत्येक सुभिन्न उ	उत्पाद के लिए उपलब्ध कराया जाएगा)
ख.4.1	उत्पाद पहचानकर्ता	
ख.4.2	संव्यवहार की अंतिम तारीख	
ख.4.3	टयक्ति से प्राप्त रकम का समग्र योग	
ख.4.4	व्यक्ति से नगद में प्राप्त रकम का समग्र योग	
ख.4.5	टयक्ति को संदत्त समग्र रकम का योग	
ख.4.6	संबंधित लेखा संख्या	
ख.4.7	संबंधित संस्था का नाम	
ख.4.8	संबंधित संस्था की संदर्भ संख्या	
ख.4.9	टिप्पणी	·

भाग ग : बैंक/ डाकघर खातों के ब्यौरों की रिपोर्ट (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक खाते के लिए यह जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी)

ग.1	रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येव	न विवरण	के हि	पर उपलब्ध कराई जाएगी)
ग.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या			
ग.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या			
ग.2	लेखा ब्यौरे	-	•	a de la composición
ग.2.1	लेखा प्रकार			2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.2.2	लेखा संख्या			
ग.2.3	लेखा धारक का नाम		-	
ग.2.4	लेखा प्रास्थिति		1 वि	शिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.2.5	शाखा संदर्भ संख्या			
ग.2.6	शाखा का नाम			
ग.2.7	शाखा का पता			
ग.2.8	शहर नगर			
ग.2.9	डाक कूट			
ग.2.10	राज्य कूट			2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.2.11	देश कूट			2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.2.12	टेलीफोन			
ग.2.13	मोबाइल			
ग.2.14	फैक्स			
ग.2.15	ई-मेल			
ग.2.16	टिप्पणी			
.स.३	लेखा साराश 🖟 🔆	~	· • •	
ग.3.1	खाते में डाली गई नगद रकम का समग्र योग			
ग.3.2	खाते से निकाली गई नगद रकम का समग्र योग			
ग.3.3	टिप्पणी		·	
ग.4	व्यक्ति के ब्यौरे (खाते से संबंधित प्रत्येक व	त्र्य वि त क	ो उपल	ब्ध कराई जाएगी)
ग.4.1	खाता संबंध		1 f	वेशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.2	व्यक्ति का नाम			
ग.4.3	व्यक्ति का प्रकार			2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.4	ग्राहक की पहचान			
ग.4.5	लिंग (व्यष्टिकों के लिए)		1 1	वेशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.6	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)			

		22
ग.4.7	स्थायी लेखा संख्या	
ग.4.8	आधार संख्या (व्यष्टिकों के लिए)	
ग.4.9	प्ररूप 60 की अभिस्वीकृति	
ग.4.10	पहचान का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.11	पहचान संख्या	
ग.4.12	जन्म/निगमन की तारीख	
ग.4.13	राष्ट्रियता/निगमनं का देश	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.14	कारबार या वृत्ति	
ग.4.15	पता	
ग.4.16	पते का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.17	शहर/नगर	
ग.4.18	पोस्टल कूट	
ग.4.19	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.20	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.21	मोबाइल/टेलीफोन नंबर	
ग.4.22	अन्य संपर्क नंबर	
ग.4.23	ई-मेल	
aτ 4.24	िट्यापी	

भाग घ : अचल संपत्ति के संव्यवकार के ब्यौरों की रिपोर्ट

(रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक संव्यवहार के लिए ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी)

ਬ.1	रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक	n संव्यवहार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी) 💮 💮
ਬ.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या	
घ.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या	
घ.2	संव्यवहार के ब्यौरे	
घ.2.1	संव्यवहार की तारीख	
घ.2.2	संट्यवंहार की पहचान	
घ.2.3	संव्यवहार का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.4	संव्यवहार की रकम	-
घ.2.5	संपत्ति का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.6	क्या संपत्ति नगरपालिका की परिसीमा में है	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.7	संपत्ति का पता	
घ.2.8	शहर/नगर	
घ.2.9	डाक क्ट	
घ.2.10	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.11	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.12	स्टांप मूल्य ;	·
घ.2.13	टिप्पणी	
घ.3	व्यक्ति के ब्यौरे (संव्यवहार से संबंधित प्रत्येव	क व्यक्ति का उपलब्ध कराई जाएगी)
घ.3.1	संव्यवहार संबंध	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.2	व्यक्ति से संबंधित संव्यवहार की रकम	
घ.3.3	व्यक्ति का नाम	
घ.3.4	व्यक्ति का प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.5	लिंग (व्यष्टिकों के लिए)	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.6	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	
घ.3.7	स्थायी लेखा संख्या	
घ.3.8	आधार संख्या (व्यष्टिकों के लिए)	
घ.3.9	प्ररूप 60 की अभिस्वीकृति	
घ.3.10	पहचान का प्रकार	1 विशिष्ट क्ट प्रविष्ट करें
घ.3.11	पहचान संख्या	
घ.3.12	जन्म/निगमन की तारीख	
घ.3.13	राष्ट्रियता/निगमन का देश	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें

ਬ.3.14	पता			
ਬ.3.15	शहर/नगर	Sec. 7 Miles	**.*	
घ.3.16	डाक कूट			
घ.3.17	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट	प्रविष्ट करें	
घ.3.18	देश कूट	2 विशिष्ट कूट	प्रविष्ट करें	
घ.3.19	मोबाइल/टेलीफोन नंबर			
घ.3.20	अन्य संपर्क नंबर			
घ.3.21	ई-मेल			
घ.3.22	टिप्पणी"।			

[अधिसूचना सं0.95 /2015][एफ.सं0. 142/28/2012-(एसओ)टीपीएल]

उप सचिव भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 978(अ), तारीख 16/12/2015 द्वारा किया गया ।